

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार मझरासोड, जिला बाहमेर
 राजस्व प्रकरण संख्या _____ अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
 तहसील 114/2019 गैरसायल
 राजस्थान सरकार जारि के बयान श्री मोहोदय विष्णु नारायण मिश्र
 पटवारी हल्का तमुसाजी जाति राजपूत निवासी तमुसाजी
 तहसील मझरासोड जिला बाहमेर।

निर्णय

पत्रावली आज मुकदमा मझरासोड में पेश हुई गैरसायल की तप / अनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तमुसाजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निर्देशन किया है कि गैर सायल ने ग्राम तमुसाजी के खसरा नम्बर 1068/20 - संख्या 20409 क्षेत्र में से 5 बीघा किरम 68/18 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अधिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर सायल को जारि के नोटिस के द्वारा सूचना हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमण घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने को आदेश पारित किये जाते हैं तथा दो वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अंश 734/5 रुपये मात्र से अर्पणित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख राजेश को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कच्चा बहक सरकार प्राप्त फसल मिलायी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 दिनों में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कच्चा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 5/11/19 को सरेआम सुनाया गया।

[Signature]
 तहसीलदार मझरासोड

कुमाना 50 फसल नि. 325
 कुल योग 325 जिनके पृष्ठ सं. 32
29/19-20 में इन्द्राज किया गया :

[Signature]
 तहसील राजस्व लेखाकार